बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पत्रांक : 2/ई7–मु॰स्था॰–104/2012 405 ,पटना/ दिनांक .....

विधि स्नातकों (Law Graduates) का विधि परामर्शी (Legal Consultant) के पद पर चयन हेतु चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना से मेधाक्रम के अनुसार प्राप्त सूची एवं उपलब्ध रिक्ति के आलोक में अधोलिखित शर्त्तों के अधीन अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित 21 (इक्कीस) अभ्यर्थियों को विधि परामर्शी (Legal Consultant) के पद पर निम्नवत् जिला आवंटित किया जाता है:–

Sl. No.	Name of the Candidate	Date of Birth	Gender	Alloted District
1	Keshav Kumar	29-11-1992	Male	Jamui
2	Prerna Shikha	31-03-1997	Female	Jehanabad
3	Prateek Srivastava	15-11-1997	Male	Sitamarhi
4	Kumar Karan	27-05-1998	Male	Nawada
5	Hrithik Kumar	12-07-1996	Male	Buxar
6	Kumari Diksha Chandra	11-07-1998	Female	Muzaffarpur
7	Shusmita Chaudhary	20-05-1999	Female	HQ (Registration)
8	Abhishek Kumar Ranjan	15-01-1999	Male	Muzaffarpur
9	Raju Kumar	30-04-2001	Male	Begusarai
10	Gaurav Deep Rajan	12-02-2000	Male	Aurangabad
11	Vivek Ranjan	11-02-1999	Male	Nawada
12	Ayush Kumar	01-01-2001	Male	Madhepura
13	Sarvjeet Kumar	28-12-2001	Male	Gopalganj
14	Sunil Kumar Yadav	01-10-1995	Male	Gopalganj
15	Mehul Anand	05-06-1998	Male	Arwal
16	Waquar Ahmad	09-03-2001	Male	Sitamarhi
17	Rahul Kumar	17-12-1999	Male	Khagaria
18	Vishal Kumar Prabhat	17-05-1996	Male	West Champaran
19	Amresh Kumar	05-01-1997	Male	Supaul
20	Radha Krishan	24-10-1997	Male	West Champaran
21	Ashutosh Kumar	14-05-1995	Male	Katihar

(1) अनुबंध की शर्त्तें– (i) प्रथम बार छः महीने के लिए अनुबंध पर रखा जायेगा। अनुबंध पर रखे जाने हेतु दोनो पक्षों (नियोजक एवं अभ्यर्थी) के द्वारा एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषजनक पाये जाने पर पुनः अगले छः माह के लिए अनुबंध अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

(ii) विधि परामर्शी अपने आवंटित जिला के सहायक आयुक्त/अधीक्षक मद्यनिषेध कार्यालय/मुख्यालय में कार्य सम्पादित करेंगे।

(iii) यह अनुबंध पूर्णतः तदर्थ व्यवस्था (Ad-hoc basis) के तहत् है तथा नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नही होगा।

(iv) एकरारनामा के समय मूल प्रमाण पत्रों को दिखाना होगा एवं प्रमाण पत्रों की दो–दो स्वअभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान गलत पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(v) अनुबंध अवधि के दौरान विधि परामर्शी किसी भी न्यायालय में Advocate के रूप में कार्य (Practice) नही कर सकेंगे तथा किसी व्यक्ति या संगठन की पैरवी नही करेंगे।

(vi) जिनका कार्यकलाप संतोषजनक नही पाया जायेगा या उनकी आवश्यकता नही होने पर, उन्हें एक माह की पूर्व सूचना पर कभी भी हटाया जा सकेगा।

(2) मानदेय– विधि परामर्शी को प्रतिमाह रूपये 35,000/–(पैंतीस हजार रूपया मात्र) एकमुश्त मानदेय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता या राशि का दावा मान्य नहीं होगा।

(3) विधि परामर्शी (Legal Consultant) के कार्य निम्न होंगे– (i) विधि परामर्शी जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला समाहर्त्ता न्यायालय, आयुक्त उत्पाद अपीलीय न्यायालय एवं सचिव के पुनरीक्षण न्यायालय में वादों का अनुश्रवण करेंगे।

(ii) वे वादों से संबंधित डाटा/आँकड़ा संकलित करने का कार्य करेंगे, जो प्रतिदिन जिला से उच्च पदाधिकारी को भेजा जायेगा।

(iii) विभाग/जिला के विधि संबंधी कार्य लिया जायेगा।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन ससमय हो, उनसे यह अपेक्षा होगी।

(v) वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई, यथा जवाब, नोटिस, कारण पृच्छा, तथ्य विवरणी एवं आदेश फलक आदि तैयार करने की जवाबदेही उनकी होगी।

(vi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पैनल सरकारी अधिवक्ता और विभाग के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। जहाँ आवश्यकता होगी सरकारी अधिवक्ता को मदद करेंगे।

(vii) समय–समय पर विभाग/जिला के विभागीय पदाधिकारियों द्वारा जो विधि संबंधी कार्य उन्हें सौपे जायेंगे, उन्हें करना होगा।

(viii) कार्यालय कार्यों के अतिरिक्त अधिहरण वाद एवं अन्य उत्पाद वादों में जिला पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे।

(ix) दूसरी बार शराब पीने के जुर्म में पकड़े गये अभियुक्तों (Repeated offender) से अवैध शराब की आपूर्त्ति/बिक्री का स्रोत आदि की जानकारी को गंभीरता से लिया जाना होगा ताकि Supply Chain को ध्वस्त किया जा सके। कोई अभियुक्त Repeated offender है या नही, इसकी तसल्ली जिला के विधि परामर्शी तय करेंगे। ऐसा करने हेतु वे अभियुक्तों से पूछताछ भी करेंगे।

2. उपरोक्त विधि परामर्शी दिनांक–01.02.2025 तक संबंधित मद्यनिषेध एवं उत्पाद कार्यालय में योगदान समर्पित करेंगे। उक्त तिथि तक योगदान नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(रेणु कुमारी सिन्हा)
उपायुक्त मद्यनिषेध
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 2/ई7–मु॰स्था॰–104/2012 405 , पटना/ दिनांक 29.01.25

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/प्रो0 (डॉ0) एस0 पी0 सिंह, डीन सामाजिक विज्ञान, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध, बिहार, पटना/उप निबंधन महानिरीक्षक (संस्था)/श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, उपायुक्त मद्यनिषेध/बजट शाखा, मुख्यालय/संबंधित जिला/कार्यालय के सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध एवं संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.25
उपायुक्त मद्यनिषेध
बिहार, पटना